संख्या-477/2017/114/22-2-2017-17(275)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 22 जून, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री गिरवर, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम.17.11.2016) दिनांक 16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री गिरवर, ग्राम बम्होरी कलां, थाना मडावर, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी गिरवर की हत्या/छेडखानी एवं ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण 44 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.1976 को समय लगभग 01.30 बजे बन्दूक, कुल्हाडी, बल्लम एवं लाठी से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की व 03 अन्य लोगो को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 323/149 में मा0 अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 10-10-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2000 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2016 तक 15 वर्ष 08 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.01.2915 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या एवं ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश में 44 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.1976 को बन्दूक, कुल्हाडी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बल्लम एवं लाठी से हमलाकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने व 03 अन्य लोगो को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री गिरवर, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दयाराम (बन्दी संख्या-5987) पुत्र श्री गिरवर, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-477/2017/114(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-ललितपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-477/2017/114@22-2-2017-17(275)/2006

दिनांक 22 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी दयाराम (बन्दी संख्या-5987) पुत्र श्री गिरवर, ग्राम बम्होरी कलां, थाना मडावर, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी गिरवर की हत्या/छेडखानी एवं ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण 44 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.1976 को समय लगभग 01.30 बजे बन्दूक, कुल्हाडी, बल्लम एवं लाठी से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की व 03 अन्य लोगो को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 323/149 में मा0 अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 10-10-1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2000 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2016 तक 15 वर्ष 08 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.01.2915 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या एवं ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश में 44 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.1976 को बन्दूक, कुल्हाडी, बल्लम एवं लाठी से हमलाकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने व 03 अन्य लोगो को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दयाराम पुत्र श्री गिरवर, निवासी जनपद-ललितपुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in